

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

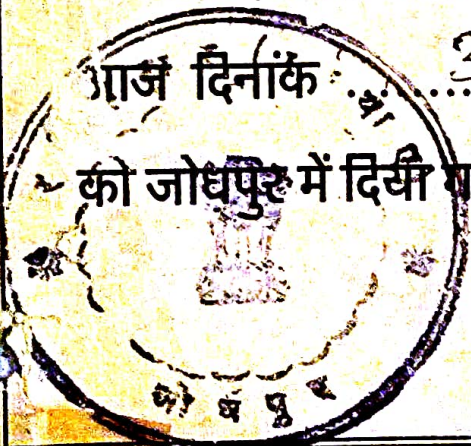
क्रमांक ...178... / जोधपुर / 08-09...

यह प्रमाणित किया जाता है कि~~श्री रावती देवी~~
.....~~श्री मिश्र जी~~ शिखर एवं प्रदीप सैय्यन,
.....~~निंबरी~~..... जिला जोधपुर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज
किया गया।

यह प्रमाण-पत्र हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से

आज दिनांक ...31... माह ...10... सन् 2008...

को जोधपुर में दिया गया।



(रजिस्ट्रार संस्थापक)

जोधपुर